

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 79/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र बुद्ध काय वा अंचल निरीक्षक श्री राजेन्द्र बुद्ध काय का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुसुवा थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 84/52 दाग नं0 32 रकवा 50-14-08 किस्म पत्ती करीम श्री कदम रविदास पिता केजु रविदास साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री कदम रविदास को दिनांक 30/3/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

20/3/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

20/3/16

आगले (उपस्थापन) कदम रविदास पिता केजु रविदास के पुत्र राजेन्द्र रविदास इत्यादि। उन्होंने भूमि प्राप्ति संबंधी दस्तावेज के रूप में सचिव के समक्ष नहीं दिए। उनके साथ ही उन्होंने कृपा के अंतर्गत भूमि ए.ए.ए. द्वारा अधिग्रहित की गयी तथा श्री कदम रविदास के पिता के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया गया है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध एकेन में है कि संबंध में अबगी नियम के अंतर्गत प्रतिवेदन समर्पित करें। आगले दिनांक 30/3/16 को करें।

sandha

राजकमार बर्मा

20/3/16
210 210

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित। राजबुगा रविदास ~~उपस्थापित~~। उद्योग।
इन्के द्वारा दस्तावेज सज्जित करने हेतु सक्षम की गति को
जई है अभिलेख दिनांक 27/8/16 को एवं।

30/8/16

सक्षम उपस्थापित

21/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।
मोटिव निर्गत करें।

अं० मा०
महागामा

~~अं० मा०
महागामा~~

05.01.2021

अभिलेख उपस्थापित।
राजस्व अतिरीक्त-वह-प्रभाती अंशुपानिरीक्षक,
महागामा से पूर्वगत यमि का मोटिव प्रतियेन
के साथ अभिलेखीय प्रतियेन प्राप्त हुआ है।
जिसका आवलोकन किया। प्रतियेन 13/8/16
आवेद्य वंहेहाएपह पंजी-11 रैमर कोषमि
एलएल कोष के सचिवग्रहण कोष के अंतर्गत
है।

अतः उपरोक्त के आलोक में —
अभिलेख की कारेवार समाप्त की जायेगी।

~~उपस्थापित।
अं० मा०
महागामा~~

~~अंशुपानिरीक्षक
महागामा~~